16.5.18 पत्रावली आज प्रार्थी फुलचन्द्र तथा अभियोजन पक्ष के बाबत मियाद तलबी का स्वीकार किये जाने पर पेश हुई। प्रार्थी ने इस पक्ष के बाबत वाद पत्र खारीज करवाने का पेश कर निवेदन कि उपमण्डलाधिकारी के मध्य राजीनामा हो चुका इसलिये वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारीज करवाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष को स्वीकार कर वाद पत्र को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होने बाद नकलील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner